



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35749

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2281 वर्ष 2026

शुभम कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	:	संदीप कुमार पाण्डेय
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार पाण्डेय तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. प्रारम्भिक आपति के रूप में इस रिट याचिका की ग्राह्यता पर यह कहते हुए आपति उठाई गई है कि दिनांक 05.10.2025 का आदेश, जिसके द्वारा याची की सेवा समाप्त की गई है, वर्ष 1991 के नियमों के अंतर्गत अपील योग्य है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्य का खण्डन नहीं कर सके।
4. उपर्युक्त स्थिति से अवगत कराए जाने पर, याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होने की संभावना है, अतः उक्त विलम्ब को क्षम्य किया जाए।
5. न्यायालय की राय में, यदि याची द्वारा विलम्ब की क्षमा हेतु युक्तिसंगत एवं समुचित आधारों के साथ अपील प्रस्तुत की जाती है, तो यह न्यायालय इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाता कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विधि के अनुसार विचार नहीं किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

दिनांक : 18 फरवरी 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”